



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001  
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.  
(A U.P. Government Undertaking)  
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001  
CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्र सं०: 3355 -मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2021-15एन०जी०/2001

दिनांक : 28 दिसम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01.07.2021 से बढ़ी दर से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के आदेश संख्या: 2188-मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2021-15एन०जी०/2001, दिनांक 31.08.2021 के अनुक्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं०: 24/2021-सा-3-804/दस-2021-301/2000टी०सी०, दिनांक 22.12.2021 में निहित प्राक्खानों की अनुरूपता में निगम के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01.07.2021 से महंगाई राहत की विद्यमान (28) अट्ठाइस प्रतिशत की दर से बढ़ा कर (31) इकत्तीस प्रतिशत किये जाने की अनुमन्यता प्रदान की जाती है।

2- पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनांक 01.07.2021 से (03) तीन प्रतिशत की उपर्युक्त बढोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान (28) अट्ठाइस प्रतिशत की दर निम्नवत् हो जायेगी :-

| क्रम सं० | महंगाई राहत अनुमन्यता की तिथि | बढ़ी हुई महंगाई राहत की देय किशत की दर | महंगाई राहत की देय कुल दर |
|----------|-------------------------------|--|---------------------------|
| 01       | 01 जुलाई, 2021                | 03 प्रतिशत                             | 31 प्रतिशत                |

3- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होंगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

4- पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप सं०: 1054-डब्ल्यू०सी०/राविप-औ०सं०-19-14(23)एफ-85, दिनांक 10.06.1988 में निहित आदेशानुसार पेंशन पर उपरोक्त महंगाई राहत के भुगतान के

कमश: .....2

लिये मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त)/महाप्रबन्धक(लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।


5- महंगाई राहत स्वीकृति करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व निगमादेशों में उल्लिखित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

सं०: 3355 - मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2021, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव(वि०प्र०)।
2. निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, कोषागार, कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, कक्ष संख्या-148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ०प्र०।
6. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
7. मुख्य अभियन्ता(मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता(स्तर-1।), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/1X660 पनकी/2X660 जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/मलावन (एटा)।
9. अधिशासी निदेशक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता(स्तर-1), (पीपीएमएम), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, टीसी-46वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर,, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता(स्तर-1।), न्यू कोल ब्लॉक, चतुर्थ तल, टीसी-46वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010।
12. मुख्य अभियन्ता(स्तर-1), तापीय परिचालन, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. मुख्य अभियन्ता(स्तर-1।), मा०सं०/ईधन/पीपीएमएम/वाणिज्य/आर०एण्डएम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद/ जानपद नव-परियोजनाए/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. मुख्य अभियन्ता(निर्माण)/जानपद,2X660 जवाहर पुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन(एटा)।
15. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।



कमशः .....3

16. महा प्रबन्धक(लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18. अधी०अभि०(०१/०३/०४/०५/०६)/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/रिफार्म/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद/प्रशिक्षण/डाटाबेस, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
19. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी-४६वी, विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-२२६०१० को निगम की वेबसाइट [www.uprvunl.org](http://www.uprvunl.org) पर अपलोड करने हेतु।
20. उप महाप्रबन्धक/कार्मिक अधिकारी (औद्योगिक सम्बन्ध), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
21. उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा(सोनमद्र)/ओबरा(सोनमद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
22. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
23. समस्त अधिशासी अभियन्ता/अनुभाग अधिकारी,(मानव संसाधन)/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
24. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वे० एवं ले०)/(पेंशन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
25. जन सूचना अनुभाग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
26. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, १०३ कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, १२ स्टेशन रोड, लखनऊ।
27. कट फाइल।

आज्ञा से



(अनिल कुमार मिश्र)

उप महाप्रबन्धक(मा०सं०-०२)